पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रसार हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

लखनऊ : 29 सितम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. (एलडीबी), सहकारिता विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से सोमवार को मार्स हॉल, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता श्री जे.पी.एस. राठौर ने किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री श्री जे.पी.एस. राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में 23 सितम्बर, 2026 से 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' का प्रदेशव्यापी संचालन प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लघु एवं सीमांत कृषक तक पारदर्शी, सरल एवं सुगम प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाया जाए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए रू0 384 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में प्रदेश के 05 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना से उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक को पुनर्जीवन मिला है तथा छोटे व कमजोर किसानों के लिए यह योजना संजीवनी का काम करेगी।

रू0 6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण – 6 प्रतिशत ब्याज दर पर

'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के अंतर्गत पात्र किसानों को रू0 6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण 05 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि के लिए दिया जाएगा तथा किसानों को 06 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।

योजना के अंतर्गत निर्धारित समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

ऋण की अदायगी किसानों की सुविधा के अनुसार आसान ईएमआई किस्तों में किए जाने की व्यवस्था है।

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचाई जाए तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

अधिकारियों को समझाई गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. के प्रबंध निदेशक श्री आर.के. कुलश्रेष्ठ ने अधिकारियों को 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता संबंधी बिंदुओं तथा आवेदन के निस्तारण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों को दी, ताकि प्रदेशभर में किसानों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ सुगमता से मिल सके।

कार्यशाला में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजय शुक्ल, रजिस्ट्रार सहकारिता श्री कुमार प्रशांत, सीजीएम नाबार्ड श्री पंकज कुमार, एलडीबी अध्यक्ष श्री विवेक सिंह तोमर, प्रबंध निदेशक पीसीएफ डॉ. चंद्रभूषण त्रिपाठी, एडिशनल बैंकिंग सहकारिता श्री अनिल कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक एलडीबी श्री आर.के. कुलश्रेष्ठ सहित प्रदेश की विभिन्न एलडीबी शाखाओं के अध्यक्ष एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यशाला का उद्देश्य योजना की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ–साथ इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एवं कार्ययोजना सुनिश्चित करना रहा, जिससे अधिक से अधिक पात्र लघु एवं सीमांत कृषक योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

सम्पर्क सूत्र– संजय कुमार

राघवेन्द्र / 02:45 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in